पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष: 0771–2262802 (अकादमिक), 0771–2262540 (कुलसचिव), फैक्स– 0771–2262818, 2262607

क्रमांक : 2338/अका./का.प/2021 रायपुर, दिनांक 31/07/2021

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की उनसठवीं बैठक मंगलवार दिनांक 10.08.2021 को अपराह्न 3.00 बजे की विषयसूची

1. **विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 18.06.2021 के कार्यवृत्त को संपुष्टि प्रदान करना। (पृष्ठ क्र 1 से 5 तक)**

<u>टीप</u>: कार्यवृत्त की छायाप्रति संलग्न।

2. **विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 18.06.2021 के कार्यवाही विवरण के पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण करना।**

<u>वित्त विभाग से प्राप्त प्रस्ताव</u> :–

3. **विश्वविद्यालय में नवीन अंशदायी पेंशन योजना (NPS) अंगीकृत करने के संबंध में विचार करना। (पृष्ठ क्र. 6 से 12 तक)**

<u>टीप</u> : छत्तीसगढ़ शासन वित्त एवं योजना विभाग मंत्रालय, रायपुर के पत्र क्रमांक 1230/एफ 1–41/2009/वित्त/स्था./चार/2012 रायपुर दिनांक 01.08.2012 एवं छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर के पत्र क्रमांक 809/एफ 2013–04–0000702 स्था./चार नया रायपुर दिनांक 23 जून 2016 के अनुसार नवीन अंशदायी पेंशन योजना के संबंध में दिशा निर्देश जारी किया गया है। जिसके अंतर्गत दिनांक 01.11.2004 के पश्चात् नियुक्त कर्मचारियों को अंशदायी पेंशन (NPS) का लाभ दिया जाना है।

4. **श्री के.के. चंद्राकर, पूर्व कुलसचिव, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को निलंबन अवधि का पूर्ण भुगतान एवं सातवें वेतनमान के अंतर की राशि रु. 23,48,569/– (रुपए तेइस लाख अड़तालिस हजार पाँच सौ उनहत्तर मात्र) का भुगतान पर विचार करना। (पृष्ठ क्र. 13 से 15 तक)**

<u>टीप</u> : (1) विश्वविद्यालय आदेश क्रमांक 922/स्था./स.प्रशा./2021 दिनांक 02.03.2021 के परिप्रेक्ष्य में श्री के.के. चंद्राकर, कुलसचिव, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को विशेष न्यायालय द्वारा दोषमुक्त किए जाने के फलस्वरूप उनके निलंबन अवधि को समस्त प्रयोजनों के लिए कर्तव्य अवधि माना गया है।

(2) विश्वविद्यालय आदेश क्र. 924/स्था./सा.प्रशा./2021 दिनांक 02.03.2021 के अनुसार श्री के.के. चंद्राकर का वेतन अंतिम रूप से निर्धारित किए जाने के फलस्वरूप वेतन के अंतर की राशि को भुगतान करने का प्रस्ताव किया गया है।

5. **स्व. श्री अरविंद शर्मा, माइक्रोएनालिस्ट, रसायन अध्ययनशाला का 240 दिवस का अवकाश नगदीकरण स्वीकृति के संबंध में विचार करना।**

<u>टीप</u> : विश्वविद्यालय आदेश क्रमांक 2180 दिनांक 15.07.2021 के द्वारा स्व. श्री अरविंद शर्मा, माइक्रोएनालिस्ट, रसायन अध्ययनशाला के निधन उपरांत कुल 240 दिवस का अवकाश नगदीकरण स्वीकृत किया गया है। स्वीकृति अनुसार स्व. श्री शर्मा कुल 240 दिवस का कुल रुपए 8,47,962.00 (रुपए आठ लाख सैंतालिस हजार नौ सौ बासठ मात्र) का अवकाश नगदीकरण का भुगतान किया जाना है।

अतः स्व. श्री शर्मा की धर्मपत्नि श्रीमती सीमा शर्मा को उक्त राशि रुपए 8,47,962.00 (रुपए आठ लाख सैंतालिस हजार नौ सौ बासठ मात्र) की भुगतान स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है।

6. **डॉ. रामानुज शर्मा, टेक्निकल असिस्टेंट का 234 दिवस का अवकाश नगदीकरण स्वीकृति के संबंध में विचार करना।**

टीप : विश्वविद्यालय आदेश क्रमांक 2214 दिनांक 19.07.2021 के द्वारा डॉ. रामानुज शर्मा, टेक्निकल असिस्टेंट को सेवानिवृत्ति उपरांत कुल 234 दिवस का अवकाश नगदीकरण स्वीकृत किया गया है। स्वीकृति अनुसार डॉ. रामानुज शर्मा कुल 234 दिवस का कुल रुपए 5,94,828.00 (रुपए पाँच लाख चौरानबे हजार आठ सौ अठाईस मात्र) का अवकाश नगदीकरण का भुगतान किया जाना है।

अतः डॉ. रामानुज शर्मा को उक्त राशि रुपए 5,94,828.00 (रुपए पाँच लाख चौरानबे हजार आठ सौ अठाईस मात्र) की भुगतान स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है।

7. **डॉ. गोपाल चंद्राकर, सेवानिवृत्त, तकनीकी सहायक का 240 दिवस का अवकाश नगदीकरण स्वीकृति के संबंध में विचार करना।**

टीप : विश्वविद्यालय आदेश क्रमांक 2204 दिनांक 19.07.2021 के द्वारा डॉ. गोपाल चंद्राकर, सेवानिवृत्त, तकनीकी सहायक को सेवानिवृत्ति उपरांत कुल 240 दिवस का अवकाश नगदीकरण स्वीकृत किया गया है। स्वीकृति अनुसार डॉ. गोपाल चंद्राकर को कुल 240 दिवस का कुल रुपए 5,87,462.00 (रुपए पाँच लाख सत्यासी हजार चार सौ बासठ मात्र) का अवकाश नगदीकरण का भुगतान किया जाना है।

अतः डॉ. गोपाल चंद्राकर को उक्त राशि रुपए 5,87,462.00 (रुपए पाँच लाख सत्यासी हजार चार सौ बासठ मात्र) की भुगतान स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है।

8. **श्रीमती शांति बाई, सेवानिवृत्त स्वच्छक के सी.पी.एफ. राशि स्वीकृति के संबंध में विचार करना।**

टीप : श्रीमती शांति बाई, स्वच्छक दिनांक 31.05.2021 को सेवानिवृत्त हो गए हैं। विश्वविद्यालय आदेश क्रमांक 1690/सा.प्रशा./2021 दिनांक 08.06.2021 के द्वारा इनके विरूद्ध विश्वविद्यालय का कुछ भी लेना शेष नहीं है। इनके सी.पी.एफ. खाता क्रमांक 10049602096/33810221470 में राशि निम्नानुसार जमा है –

(1)	स्वयं अंशदान में जमा राशि रुपए	6,01,774.00
(2)	अंशदान पर प्राप्त ब्याज की राशि रुपए	49,252.00
	भुगतान योग्य कुल राशि रुपए	6,63,716.00

(रुपए छः लाख तिरसठ हजार सात सौ सोलह मात्र)

9. **डॉ. केशरी लाल वर्मा, सेवानिवृत्त प्राध्यापक, साहित्य एवं भाषा अध्ययनशाला का 225 दिवस का अवकाश नगदीकरण स्वीकृति के संबंध में विचार करना।**

टीप : विश्वविद्यालय आदेश क्रमांक 2266 दिनांक 23.07.2021 के द्वारा डॉ. केशरी लाल वर्मा, सेवानिवृत्त प्राध्यापक को सेवानिवृत्ति उपरांत कुल 225 दिवस का अवकाश नगदीकरण स्वीकृत किया गया है। स्वीकृति अनुसार डॉ. केशरी लाल वर्मा को कुल 225 दिवस का कुल रुपए 17,79,120.00 (रुपए सत्रह लाख उन्यासी हजार एक सौ बीस मात्र) का अवकाश नगदीकरण का भुगतान किया जाना है।

अतः डॉ. केशरी लाल वर्मा को उक्त राशि रुपए 17,79,120.00 (रुपए सत्रह लाख उन्यासी हजार एक सौ बीस मात्र) की भुगतान स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है।

गोपनीय विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :–

10. **वार्षिक परीक्षा के उत्तरपुस्तिकाओं के मूल्यांकन कराने हेतु अग्रिम राशि रुपए 1,80,12,615/– (रुपए एक करोड़ अस्सी लाख बारह हजार छः सौ पंद्रह मात्र) के कार्योत्तर अनुमोदन के संबंध में विचार करना।**

टीप : विश्वविद्यालय से संबद्ध 77 महाविद्यालयों के वार्षिक परीक्षा 2021 के उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन कराने के लिए अग्रिम राशि रुपए 1,80,12,615/– (रुपए एक करोड़ अस्सी लाख बारह हजार छः सौ पंद्रह मात्र) का भुगतान किया गया है। माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष कार्योत्तर अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

यांत्रिकी विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :–

11. **विश्वविद्यालय के विभिन्न 15 भवनों के बाह्य पोताई के संबंध में विचार करना।**

टीप : विश्वविद्यालय के विभिन्न विभाग 15 भवनों की बाह्य पोताई हेतु कुल प्राक्कलन राशि रु. 48,08,351/– (रुपए अड़तालीस लाख आठ हजार तीन सौ इंक्यावन मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु विचारार्थ प्रस्तुत। लोक निर्माण विभाग के (S.O.R. Elective from 1 Jan. 2015) के आधार पर निविदा आमंत्रित किए जाने हेतु अनुमति हेतु प्रस्तुत।

12. **विश्वविद्यालय के विभिन्न 12 भवनों के बाह्य पोताई के संबंध में विचार करना।**

टीप : विश्वविद्यालय के विभिन्न विभाग 12 भवनों की बाह्य पोताई हेतु कुल प्राक्कलन राशि रु. 71,63,227/– (रुपए इकहत्तर लाख तिरसठ हजार दो सौ सत्ताइस मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु विचारार्थ प्रस्तुत। लोक निर्माण विभाग के (S.O.R. Elective from 1 Jan. 2015) के आधार पर निविदा आमंत्रित किए जाने हेतु अनुमति हेतु प्रस्तुत।

13. **विश्वविद्यालय में विभिन्न निर्माण कार्यो हेतु वास्तुविद् (Architect) चयन संबंधी प्रकरण पर विचार करना।**

टीप : विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न कार्यो हेतु वास्तुविद् चयन हेतु रूचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित की गई। कुल आठ फर्मों से (E.O.I.) प्राप्त हुई। सभी फर्मों को प्रस्तुतीकरण हेतु आमंत्रित किया गया। दिनांक 31.03.2021 को भवन निर्माण समिति के समक्ष आर्केटेक्ट फर्मो द्वारा प्रस्तुतीकरण किया गया। समिति द्वारा सर्वसम्मति से फर्म Bharti & Associates Raipur का चयन निम्नलिखित तीन कार्यो हेतु किया गया–

1. Intigrated examination hall
2. Furniture layout of Exam Section hall
3. Staff Quarter in Dumer Talab (University campus)

उपरोक्त तीन कार्यो हेतु आर्केटेक्ट Bharti & Associates Raipur को कार्य आदेश देकर अनुबंध किए जाने हेतु अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

14. **विश्वविद्यालय परिसर में स्थित उद्यानों के वार्षिक रख–रखाव वर्ष 2021–22 का सहायक संचालक उद्यानिकी विभाग को राशि रुपए 15,39,215/– (रुपए पंद्रह लाख उंतालिस हजार दो सौ पंद्रह मात्र) के भुगतान की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में विचार करना।**

टीप : विश्वविद्यालय परिसर में स्थित उद्यानों के वार्षिक रख–रखाव वर्ष 2021–22 हेतु सहायक संचालक उद्यानिकी विभाग द्वारा प्रस्तुत प्राक्कलन राशि रुपए 30,78,430/– (रुपए तीस लाख अठत्तर हजार चार सौ तीस मात्र) की माननीय कार्यपरिषद् की स्वीकृति की प्रत्याशा में कार्य डिपाजिट वर्क के अंतर्गत कराने प्राक्कलन राशि की 50% राशि रुपए 15,39,215/–(रुपए पंद्रह लाख उंतालिस हजार दो सौ पंद्रह मात्र) का भुगतान सहायक संचालक उद्यान प्रमुख उद्यान, रायपुर (छ.ग.) को दिनांक 15.07.2021 को किया गया है की कार्योत्तर स्वीकृति हेतु अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

15. **विश्वविद्यालय परिसर में 100 नग Street Light Pole लगाने एवं उनमें L.E.D. Street Light Fitting लगाने हेतु रुपए 24,50,000/– (रुपए चौबीस लाख पचास हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में विचार करना।**

<u>टीप</u> : माननीय कार्यपरिषद् की स्वीकृति अनुसार विश्वविद्यालय में 100 नग Street Ligh Pole लगाने एवं उनमें L.E.D. Street Light Fitting लगाने हेतु निविदा आमंत्रित की गई। D.P.C. एवं C.P.C. से अनुमोदित न्यूनतम निविदा दर 30 % Below S.O.R. वाली फर्म मेसर्स D.M. Jha, Raipur को कार्य आदेश देकर अनुबंध किए जाने की अनुमति हेतु प्रस्तुत। कार्य पर आने वाली लागत रुपए 24,50,000/– (रुपए चौबीस लाख पचास हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है।

<u>इलेक्ट्रानिक्स एवं फोटोनिक्स अध्ययनशाला से प्राप्त प्रस्ताव</u> :–

16. **इलेक्ट्रानिक्स एवं फोटोनिक्स अध्ययनशाला हेतु निर्माता कंपनी से Quantum efficiency and I-V measurement system उपकरण क्रय हेतु राशि रु. 14,48,304/– (रुपए चौदह लाख अड़तालिस हजार तीन सौ चार मात्र) के अनुमोदन पर विचार करना।**

<u>टीप</u> : इलेक्ट्रानिक्स एवं फोटोनिक्स अध्ययनशाला द्वारा M.Tech. Optoelectronics & Laser Technology, M.Sc. में Photonics विषय के छात्रों के प्रशिक्षण एवं प्रोजेक्ट हेतु Quantum efficiency and I-V measurement system (Model No. H0-SLQEIV) Sole निर्माता कंपनी मेसर्स Homarc Opto Mechatronics Pvt. Ltd., Kochi द्वारा कुल राशि 14,48,304/– (रुपए चौदह लाख अड़तालिस हजार तीन सौ चार मात्र) में क्रय हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत है। उक्त व्यय Lab Equipment & Repair मद से सत्र 2021–22 हेतु प्रावधानित राशि रुपए 15.20 लाख से किया जाना है।

<u>बायोटेक्नोलॉजी से प्राप्त प्रस्ताव</u> :–

17. **विश्वविद्यालय परिसर में Technology Business Incubator की स्थापना हेतु राशि रुपए 68,19,160.00 (रुपए अड़सठ लाख उन्नीस हजार एक सौ साठ मात्र) के अनुमोदन पर विचार करना।**

<u>टीप</u> : जैव प्रौद्योगिकी अध्ययनशाला ने विश्वविद्यालय परिसर में "Technology Business Incubator", की स्थापना के लिए Deaprtment of Science & Technology, New Delhi को iTBI-NIDHI योजना के अंतर्गत परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, जिसकी कुल लागत रुपए 5,51,91,200.00 (रुपए पाँच करोड़ इंक्यावन लाख इंक्यानबे हजार दो सौ मात्र) है। Deaprtment of Science & Technology, New Delhi के नियमानुसार इस योजना के लिए विश्वविद्यालय की ओर से रुपए 68,19,160.00 (रुपए अड़सठ लाख उन्नीस हजार एक सौ साठ मात्र) अंशदान के रूप में दिया जाना है। यदि यह परियोजना Deaprtment of Science & Technology, New Delhi के द्वारा स्वीकृत की जाती है, उस स्थिति में रुपए 68,19,160.00 (रुपए अड़सठ लाख उन्नीस हजार एक सौ साठ मात्र) जैव प्रौद्योगिकी अध्ययनशाला के द्वारा निम्नानुसार तीन वर्षों में व्यय की जा सकेगी। (विस्तृत जानकारी संलग्न है।)

Heads	**Year-1 (Rs)**	**Year-II (Rs)**	**Year-III (Rs)**	**Total (Rs)**
Non-Recurring	23,00.000.00	15,00,000.00	Nil	38,00,000.00
Recurring	Nil	11,74,400.00	18,44,760.00	30,19,160.00
Total (Rs)	**23,00,000.00**	**26,74,400.00**	**18,44,760.00**	**68,19,160.00**
Rupees Sixty Eight Lakh Ninteen Thousand One Hundred and Sixty Only				

18. **विश्वविद्यालय परिसर में BioNEST Bioincubator की स्थापना हेतु राशि रुपए 48,00,000.00 (रुपए अड़तालीस लाख मात्र) के अनुमोदन पर विचार करना।**

<u>टीप</u> : जैव प्रौद्योगिकी अध्ययनशाला ने विश्वविद्यालय परिसर में "BioNEST Bioincubator Facility", की स्थापना के लिए Deaprtment of Biotechnology, New Delhi को BioNEST योजना के अंतर्गत परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, जिसकी कुल लागत रुपए 9,31,01,000.00 (रुपए नौ करोड़ इकत्तीस लाख एक हजार मात्र) है। Deaprtment of Biotechnology, New Delhi के नियमानुसार इस योजना के लिए विश्वविद्यालय की ओर से रुपए 48,00,000.00 (रुपए अड़तालीस लाख मात्र) अंशदान के रूप में दिया जाना है। यदि यह परियोजना Deaprtment of Biotechnology, New Delhi के द्वारा स्वीकृत की जाती है, उस स्थिति में रुपए 48,00,000.00 (रुपए अड़तालीस लाख मात्र) जैव प्रौद्योगिकी अध्ययनशाला के द्वारा निम्नानुसार तीन वर्षों में व्यय की जा सकेगी। (विस्तृत जानकारी संलग्न है।)

Heads	Year-1 (Lakh Rs)	Year-II (Lakh Rs)	Year-III (Lakh Rs)	Total (Lakh Rs)
Maintenance/ Repair of Instruments	5.00	5.00	5.00	15.00
Administrative Operation	2.00	2.00	2.00	06.00
Travel	2.00	2.00	2.00	06.00
Consumables & Chemicals	5.00	5.00	5.00	15.00
Training Programs, etc.	2.00	2.00	2.00	06.00
			Total	**48.00**
				Rupees Forty Eight Lakh Only

<u>शारीरिक शिक्षा विभाग से प्राप्त प्रस्ताव</u> :–

19. **क्रीड़ा समिति की बैठक दिनांक 14.08.2019 के कार्यवृत्त का अनुमोदन पर विचार करना।**

(पृष्ठ क्र. 16 से 18 तक)

<u>टीप</u> : क्रीड़ा समिति की बैठक दिनांक 14.08.2019 के कार्यवृत्त की छायाप्रति संलग्न।

20. **अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरण।**

आदेशानुसार

31.7.21

कुलसचिव

पृ. क्रमांक : 2339 / अका. / का.प / 2021 **रायपुर, दिनांक 31 /07/2021**

प्रतिलिपिः–

1. माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय के सचिव, छत्तीसगढ़, राजभवन, रायपुर।
2. कार्यपरिषद् के समस्त सदस्यों को।
3. जनसम्पर्क अधिकारी / अधिष्ठाता, छात्र कल्याण,
4. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के निजी सहायक, पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ।

उप कुलसचिव (अका.)

पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाषः 0771–2262802 (अकादमिक), 0771–2262540 (कुलसचिव), फैक्स– 0771–2262818, 2262607

(1)

क्रमांक : 2075/अका./का.प/2021 रायपुर, दिनांक 22/06/2021

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की अंठावनवीं बैठक शुक्रवार, दिनांक 18.06.2021 को अपराह्न 3:00 बजे कुलपति सचिवालय के सभाकक्ष में संपन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्यगण उपस्थित हुए –

प्रो. केशरी लाल वर्मा, कुलपति – अध्यक्ष

1. डॉ. शैलेंद्र सराफ – सदस्य
2. डॉ. कल्लोल कुमार घोष – सदस्य
3. डॉ. (श्रीमती) नंदा गुरवारा – सदस्य
4. डॉ. (श्रीमती) प्रियंवदा श्रीवास्तव – सदस्य
5. डॉ. (श्रीमती) आभा रूपेन्द्र पाल – सदस्य
6. डॉ. भजन सिंह छाबड़ा – सदस्य
7. डॉ. (श्रीमती) प्रीति के. सुरेश – सदस्य
8. डॉ. के.एन. शर्मा – सदस्य
9. डॉ. एम.एल. नायक – सदस्य
10. श्री सोनऊ राम नेताम – सदस्य
11. श्री सत्यनारायण शर्मा – सदस्य
12. डॉ. लक्ष्मी ध्रुव – सदस्य
13. डॉ. समीर ठाकुर – सदस्य

डॉ. गिरीशकांत पाण्डेय, कुलसचिव – सचिव

1. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 16.03.2021 के कार्यवृत्त को संपुष्टि प्रदान करना

निर्णय : **संपुष्टि की गई।**

2. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 16.03.2021 के कार्यवाही विवरण के पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण करना।

निर्णय : **सूचना ग्रहण की गई।**

<u>वित्त विभाग से प्राप्त प्रस्ताव</u> :

3. डॉ. आर.पी. दास, प्रोफेसर को भविष्य निधि से आंशिक पूर्ण भुगतान राशि रू. 10,00,000=00 (रूपए दस लाख मात्र) किए गए भुगतान की सूचना ग्रहण करना।

निर्णय : **डॉ. आर.पी. दास, प्रोफेसर को भविष्य निधि से आंशिक पूर्ण भुगतान राशि रू. 10,00,000=00 (रूपए दस लाख मात्र) किए गए भुगतान का कार्योत्तर अनुमोदन किया गया।**

4. श्री बसंत कुमार औसर को सी.पी.एफ. के अंतिम भुगतान राशि रु. 11,10,687=00 (रुपए ग्यारह लाख दस हजार छ. सौ सतासी मात्र) की सूचना ग्रहण करना।

निर्णयः **श्री बसंत कुमार औसर को सी.पी.एफ. के अंतिम भुगतान राशि रु. 11,10,687=00 (रुपए ग्यारह लाख दस हजार छ. सौ सतासी मात्र) का कार्योत्तर अनुमोदन किया गया।**

<u>मानव संसाधन विकास केंद्र से प्राप्त प्रस्ताव</u> :

5. मानव संसाधन विकास केंद्र (HRDC) का Academic Advisory Committee की बैठक दिनांक 23.03.2021 के कार्यवृत्त का अनुमोदन किए जाने हेतु माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष प्रस्तुत।

निर्णयः **मानव संसाधन विकास केंद्र (HRDC) का Academic Advisory Committee की बैठक दिनांक 23.03.2021 के कार्यवृत्त का अनुमोदन किया गया।**

विकास विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :

6. विश्वविद्यालय प्रेस के लिए Single Colour Offset Printing Machine क्रय करने संबंधी प्रकरण पर विचार करना।

निर्णयः **विश्वविद्यालय प्रेस के लिए Single Colour ऑफसेट प्रिंटिंग मशीन M/s Jai Prakash Offset Machinery Co.,Faridabad से क्रय करने के लिए रू. 6,78,500.00 (छः लाख अठ्हत्तर हजार पाँच सौ मात्र) की स्वीकृति प्रदान की गई।**

7. केंद्रीय क्रय समिति के पुनर्गठन हेतु कार्यपरिषद् की ओर से एक सदस्य मनोनीत करने के संबंध मे विचार करना।

निर्णयः **केंद्रीय क्रय समिति में कार्यपरिषद की ओर से एक सदस्य सत्र् 2021–22 हेतु प्रो. के.के. घोष, सदस्य कार्यपरिषद एवं आचार्य, रसायन अध्ययनशाला को मनोनीत किया गया।**

Internal Quality Assurace Cell (IQAC) से प्राप्त प्रस्ताव :

8. AQAR 2019-20 की रिपोर्ट NAAC की पोर्टल पर दिनांक 31.05.2021 को आनलाईन सबमिट किया गया है, की सूचना ग्रहण किए जाने हेतु माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष प्रस्तुत।

निर्णयः **AQAR 2019-20 की रिपोर्ट NAAC की पोर्टल पर दिनांक 31.05.2021 को आनलाईन सबमिट किया गया है, की सूचना ग्रहण की गई।**

गोपनीय विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :

9. वर्ष 2020–2021 की परीक्षाओं के लिए गोपनीय मुद्रण कार्य हेतु अनुबंध कराए जाने के संबंध में विचार करना।

निर्णयः **वर्ष 2020–2021 की परीक्षाओं के लिए गोपनीय मुद्रण कार्य हेतु 2019–20 के गोपनीय मुद्रण कार्य हेतु अनुबंधित की गई फर्म से पूर्व अनुमोदित शर्तों एवं दर के आधार पर एक वर्ष के लिए अनुबंध किए जाने हेतु अनुमोदन किया गया।**

एन.सी.एन.आर. से प्राप्त प्रस्ताव :

10 एन.सी.एन.आर. विभाग में क्रय किए गए उपकरण सामग्री के वार्षिक रख–रखाव के लिए कुल रू. 19,07,801=00 (रूपए उन्नीस लाख सात हजार आठ सौ एक मात्र) की स्वीकृति के संबंध में विचार किए जाने हेतु माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष प्रस्तुत।

निर्णयः **एन.सी.एन.आर. विभाग में क्रय किए गए उपकरण सामग्री के वार्षिक रख–रखाव के लिए कुल रू.19,07,801=00 (रूपए उन्नीस लाख सात हजार आठ सौ एक मात्र) की भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई।**

सामान्य प्रशासन विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :

11. श्री परदेशी राम भोई, कनिष्ठ अधीक्षक की बहाली संबंधी प्रकरण अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

निर्णयः **श्री परदेशी राम भोई, कनिष्ठ अधीक्षक के प्रकरण पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णयानुसार कार्यवाही को अनुमोदन किया गया।**

(3)

पूरक विषयसूची

1. विश्वविद्यालय विद्या–परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 17.06.2021 के कार्यवृत्त का अनुमोदन करना।

निर्णयः **विश्वविद्यालय विद्या–परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 17.06.2021 के कार्यवृत्त का अनुमोदन किया गया।**

2. विश्वविद्यालय की सेमेस्टर परीक्षा 2020–21 एवं वार्षिक परीक्षा 2021 की समय–सारणी एवं परीक्षार्थियों के लिए दिशा–निर्देश की अधिसूचना माननीय कार्यपरिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णयः **विश्वविद्यालय की सेमेस्टर परीक्षा 2020–21 एवं वार्षिक परीक्षा 2021 की समय–सारणी एवं जारी दिशा–निर्देश की अधिसूचना का कार्योत्तर अनुमोदन किया गया।**

3. सेमेस्टर परीक्षा दिसंबर–जनवरी 2020–21 हेतु परीक्षा केंद्र अग्रिम राशि रू. 19,23,113=00 (उन्नीस लाख तेईस हजार एक सौ तेरह रूपए मात्र) प्रदान किए जाने संबंधी प्रकरण माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

निर्णयः **सेमेस्टर परीक्षा दिसंबर–जनवरी 2020–21 हेतु परीक्षा केंद्र अग्रिम राशि रू. 19,23,113=00 (उन्नीस लाख तेईस हजार एक सौ तेरह रूपए मात्र) प्रदान किए जाने का कार्योत्तर अनुमोदन किया गया।**

4. महाविद्यालयों को सेमेस्टर परीक्षा एवं बी.एड./एम.एड. 2021 हेतु परीक्षा केंद्र अग्रिम राशि रूपए 6,69,000=00 (छः लाख उनहत्तर हजार रूपए मात्र) भुगतान किया गया है, कार्यपरिषद के समक्ष कार्योत्तर स्वीकृति हेतु सूचनार्थ प्रस्तुत।

निर्णयः **महाविद्यालयों को सेमेस्टर परीक्षा एवं बी.एड./एम.एड. 2021 हेतु परीक्षा केंद्र अग्रिम राशि रूपए 6,69,000=00 (छः लाख उनहत्तर हजार रूपए मात्र) भुगतान किया गया है, की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।**

5. वार्षिक परीक्षा 2021 (मार्च–अप्रैल) हेतु केंद्र अग्रिम राशि रूपए 79,90,000=00 (उन्यासी लाख नब्बे हजार रूपए मात्र) भुगतान किया गया है, कार्यपरिषद के समक्ष कार्योत्तर स्वीकृति हेतु सूचनार्थ प्रस्तुत।

निर्णयः **वार्षिक परीक्षा 2021 (मार्च–अप्रैल) हेतु केंद्र अग्रिम राशि रूपए 79,90,000=00 (उन्यासी लाख नब्बे हजार रूपए मात्र) भुगतान किया गया है, की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।**

6. डॉ. एच.के. पाठक, सेवानिवृत्त प्रोफेसर के सी.पी.एफ. का अंतिम भुगतान राशि रूपए 26,80,069=00 (छब्बीस लाख अस्सी हजार उनहत्तर रूपए मात्र) की सूचना ग्रहण करना।

निर्णयः **डॉ. एच.के. पाठक, सेवानिवृत्त प्रोफेसर के सी.पी.एफ. का अंतिम भुगतान राशि रूपए 26,80,069=00 (छब्बीस लाख अस्सी हजार उनहत्तर रूपए मात्र) की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।**

7. डॉ. ए.के. पति, सेवानिवृत्त प्रोफेसर का नगदीकरण स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

निर्णयः **डॉ. ए.के. पति, सेवानिवृत्त प्रोफेसर को अर्जित अवकाश नगदीकरण की कुल राशि रूपए 19,55,072.00 (रूपए उन्नीस लाख पचपन हजार बहत्तर मात्र) भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की गई।**

Ⓐ

8. इस विश्वविद्यालय में यंत्री के पद पर श्री के.पी. तिवारी, सेवानिवृत्त कार्यपालन अभियंता को रूपए 20800/– प्रतिमाह मानदेय पर रखे जाने हेतु कार्योत्तर स्वीकृति हेतु माननीय कार्यपरिषद के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

निर्णयः **विश्वविद्यालय के यांत्रिकी विभाग में सलाहकार के रूप में श्री के.पी. तिवारी, सेवानिवृत्त कार्यपालन अभियंता को रूपए 20800/– प्रतिमाह मानदेय पर रखे जाने हेतु कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई। आगे प्रत्येक माह मानदेय पर रखे जाने हेतु कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया।**

9. विश्वविद्यालय के Pre & Post examination works कार्य के लिए स्वीकृति हेतु प्रकरण माननीय कार्यपरिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णयः **विश्वविद्यालय के Pre & Post examination works कार्य के लिए पूर्व में स्वीकृत फर्म National Consumer Co-operative Federation of India Ltd.(NCCF), Adarsh Nagar, Kanke Road, Rachi से पिछले अनुबंध के आधार पर पूर्व निर्धारित शर्तों एवं दर पर अकादमिक सत्र् 2021–'22 के लिए अनुमोदन किया गया।**

10. छत्तीसगढ़ भंडार क्रय नियम 2002 (यथा संशोधित 2020) का विनिमय 108 में शामिल किए जाने हेतु कार्यपरिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णयः **छत्तीसगढ़ शासन वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ 20–70/2004/11–6 नवा रायपुर, दिनांक 29 दिसंबर/2020 के द्वारा छत्तीसगढ़ भंडार क्रय नियम 2002 (यथासंशोधित 2020) में संशोधन किया गया है।**

छत्तीसगढ़ शासन के उक्त क्रय नियम का वि.वि. द्वारा निर्मित विनियम क्रमांक 108 में शामिल किया जाना है, ताकि शासन के क्रय नियम का पालन हो सके। विनियम क्रमांक 108 के क्रय की प्रक्रिया में निम्नानुसार जोड़ा जाना है :–

1. **छत्तीसगढ़ शासन वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ 20–70/2004/11–6 नवा रायपुर, दिनांक 29/दिसंबर/2020 के द्वारा छ.ग. भंडार क्रय नियम 2002 (यथा संशोधित 2020) को जोड़ा जाना है।**

2. **भण्डार क्रय नियम**

नियम–3 "ऐसी वस्तुएँ जो परिशिष्ट–1 में उल्लेखित है, की दरों एवं शर्तों का निर्धारण छत्तीसगढ़ स्टेट इंडस्ट्रियल कार्पोरेशन (सीएसआईडीसी) द्वारा किया जाएगा तथा विभागों द्वारा परिशिष्ट–1 में उल्लेखित वस्तुओं का क्रय छत्तीसगढ़ स्टेट इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन (सीएसआईडी सी) द्वारा निर्धारित दरों एवं शर्तों के अंतर्गत् राज्य के ऑनलाईन पोर्टल से सीधे किया जा सकेगा।

"छ.ग. भंडार क्रय नियम 2002 (यथा संशोधित 2020) का विनिमय 108 में कंडिका 01 एवं 02 पर दिए गए प्रस्ताव की स्वीकृति प्रदान की गई।

11. तृतीय श्रेणी के पदों पर अनुकंपा नियुक्ति हेतु प्रावधानित 10 प्रतिशत पदों के सीमा बंधन में शिथिलीकरण आदेश को अंगीकृत किए जाने हेतु विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णयः **छत्तीसगढ़ शासन के पत्र क्रमांक एफ 7–1/2012/1–3 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 22.05.2021 के अनुसार तृतीय श्रेणी/चतुर्थ श्रेणी वर्ग में अनुकंपा नियुक्ति के लंबित प्रकरणों के निराकरण की दृष्टि से राज्य शासन एतद् द्वारा, इस विभाग के संदर्भित परिपत्र दिनांक 14.06.2013 के निर्देश बिंदु 8(1) में प्रावधानित 10 प्रतिशत के सभी बंधन को दिनांक 31.05.2022 तक शिथिल किए जाने के संबंध में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी परिपत्र विश्वविद्यालय में मूलतः अंगीकृत किए जाने का अनुमोदन किया गया।**

12. वार्षिक परीक्षा पूर्व कार्य सत्र् 2020–21 का देय राशि रू. 2,26,47,805.00 (दो करोड़ छब्बीस लाख सैंतालीस हजार आठ सौ पाँच मात्र) के भुगतान के संबंध में विचार करना।

निर्णयः **End-to-End Exam कार्य हेतु Pre & Post Examination के कार्य हेतु राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ मर्यादित, कांके रोड, राँची को वार्षिक परीक्षा–पूर्व कार्य सत्र् 2020–21 का देय राशि रू. 2,26,47,805.00 (दो करोड़ छब्बीस लाख सैंतालीस हजार आठ सौ पाँच मात्र) के भुगतान किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।**

13. मानवविज्ञान अध्ययनशाला के विभागीय इंप्रेस्ट की राशि रू. 10,000=00 को बढ़ाकर रू. 20,000=00 करने संबंधी प्रस्ताव विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णयः **मानवविज्ञान अध्ययनशाला के विभागीय इंप्रेस्ट की राशि रू. 10,000=00 को बढ़ाकर रू. 20,000=00 करने का अनुमोदन किया गया।**

अध्यक्ष की अनुमति से :

14. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय के आदेश क्रमांक 166/36/आउशि/वि.वि. अनु.पें./2020 नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर दिनांक 24.06.2020 के द्वारा पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर में तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग पदोन्नति की जाँच हेतु गठित समिति के प्रतिवेदन एवं छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय के पत्र क्रमांक एफ 15–2/2020/38–2 दिनांक 04.03.2021 के परिपालन में विश्वविद्यालय द्वारा विभागीय पदोन्नति समिति गठित कर की जा रही कार्यवाही की विस्तृत जानकारी से अवगत कराया जाना।

निर्णयः **सूचना ग्रहण की गई।**

कुलपति
अध्यक्ष

कुलसचिव
सचिव

पृ. क्रमांक : 2076 /अका./का.प/2021 — रायपुर, दिनांक 22/06/2021

प्रतिलिपि :–

1. माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय के सचिव, छत्तीसगढ़ राजभवन, रायपुर।
2. सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर।
3. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, ब्लॉक–सी–3, द्वितीय एवं तृतीय तल, इंद्रावती भवन, अटल नगर, नवा रायपुर।
4. कार्यपरिषद के समस्त सदस्यों को।
5. अध्यक्ष, समस्त अध्ययनशाला/समस्त विभागीय अधिकारी,
6. संचालक, महाविद्यालय विकास परिषद्/जनसंपर्क अधिकारी/अधिष्ठाता, छात्र कल्याण,
7. वित्त नियंत्रक/प्रभारी, अंकेक्षण,
8. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल वि.वि., रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (अका.)

45 (6)

वित्त निर्देश– 56/2012

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त एवं योजना विभाग
मंत्रालय–रायपुर

क्रमांक 1230/एफ 1–41/2009/वित्त/स्था./चार/2012 रायपुर, दिनांक 01 अगस्त, 2012

प्रति,

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, बिलासपुर
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त संभागायुक्त
समस्त जिलाध्यक्ष
छत्तीसगढ़ ।

विषयः–राज्य शासन के अधीन स्वशासी संस्थाओं/विश्वविद्यालयों/निगमों/मण्डलों/सार्वजनिक उपक्रमों/विकास प्राधिकरणों/नगरीय निकायों में पदस्थ कर्मचारियों के लिए नवीन अंशदायी पेंशन योजना लागू करने के संबंध में।

भारत सरकार के निर्देशों के अनुपालन में छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त स्थायी एवं अस्थायी नियमित कर्मचारी तथा आकस्मिकता एवं कार्यभारित सेवा के अस्थाई एवं स्थायी कर्मचारियों के लिए दिनांक 01.11.2004 अथवा इसके बाद से परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना लागू की गई है । इसी अनुक्रम में राज्य शासन के नियंत्रणाधीन अनुदान प्राप्त ऐसे स्वशासी संस्थाओं/विश्वविद्यालयों/निगमों/मण्डलों/सार्वजनिक उपक्रमों/विकास प्रॉधिकरणों/नगरीय निकायों जिनमें राज्य शासन के समान निश्चित लाभ पेंशन प्रणाली प्रचलित है, में दिनांक 01.04.2012 अथवा इसके बाद नियुक्त कर्मचारियों के लिए परिभाषित अंशदायी पेंशन प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया गया है । इस हेतु निम्नानुसार प्रकिया अपनाई जायेगी :–

1. सहमति पत्रः

1.1 पेंशन फण्ड रेगूलेटरी एण्ड डेव्हलपमेन्ट अथारिटी (PFRDA) के अनुसार स्वशासी संस्थाओं /विश्वविद्यालयों/ निगमों/मण्डलों/सार्वजनिक उपक्रमों/विकास प्राधिकरणों/नगरीय निकायों के द्वारा नवीन पेंशन योजना में भाग लेने के लिए निधारित प्रपत्र एनेक्जर–1 में एक सहमति पत्र आयुक्त कोष लेखा एवं पेंशन छ.ग. शासन वित्त विभाग के माध्यम से PFRDA को भेजा जाना आवश्यक होगा ।

1.2 भारत शासन ने PFRDA को अंशदायी पेंशन योजना के कियान्वयन के लिए अधिकृत किया है जिसके द्वारा निम्न संस्थाओं को विभिन्न दायित्व सौंपे गये है–

(अ) नवीन पेंशन योजना ट्रस्ट (NPS Trust)

(ब) नेशनल सिक्यूरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड (NSDL) – सेन्ट्रल रिकार्ड कीपिंग एजेंसी

(स) बैंक ऑफ इंडिया – ट्रस्टी बैंक

(द) स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पेंशन फण्डस प्रा.लि., यू.टी.आई. एसेट मैनेजमेंट कम्पनी तथा एल.आई.सी. पेंशन फण्ड लिमिटेड – फण्ड मैनेजर

1.3 राज्य शासन के द्वारा शासकीय सेवकों के लिए NSDL एवं NPS Trust के साथ अनुबंध किया जा कर योजना का कियान्वयन दिनांक 01.11.2004 से प्रारंभ किया गया है इसी प्रकार राज्य की स्वशासी संस्थाओं/ विश्वविद्यालयों/ निगमों/मण्डलों/सार्वजनिक उपकमों/विकास प्रॉधिकरणों/ नगरीय निकाय में अंशदायी पेंशन योजना लागू किये जाने हेतु NSDL तथा NPS Trust से अनुबंध किया जाना होगा ।

2. **NSDL** के साथ पंजीकरण:

2.1 सहमति पत्र देने के पश्चात एन.एस.डी.एल. के साथ विभागीय नोडल अधिकारियों, आहरण अधिकारियों एवं कर्मचारियों के पंजीयन की कार्यवाही की जाना आवश्यक होगी । एनेक्जर– 2, 3 एवं 4 में नोडल अधिकारियों, आहरण अधिकारियों एवं कर्मचारियों के पंजीयन प्रपत्र संलग्न है ।

2.2 एनेक्जर 2 एवं 3 में नोडल अधिकारियों तथा आहरण अधिकारियों के पंजीयन के लिये यह एनेक्जर सीधे एन.एस.डी.एल. को निम्न पते पर प्रेषित किए जाने होंगे :–

National Securities Depository Limited,
4th Floor, Trade World 'A' Wing, Kamla Mills
Compound, S.B. Marg, Lower Parel,
Mumbai-400013

2.3 एनेक्जर–1 में दिये गये सहमति पत्र के साथ **एनेक्जर–5 में मास्टर कियेशन फाईल** भी एन.एस.डी.एल. को स्वशासी संस्था द्वारा भेजी जावेगी।

2.4 कर्मचारियों के पंजीयन के लिय एनेक्जर 4 में जानकारी भरकर एन.एस.डी.एल. के फेसिलिटीटेशन सेन्टर (सुविधा केन्द्र) द्वारा जमा की जानी होगी । यह एनेक्जर एन.एस.डी.एल. की वेबसाइट http://npscra.nsdl.co.in पर भी उपलब्ध है। फेसिलिटीटेशन सेन्टर की जानकारी भी वेबसाइट पर उपलब्ध है ।

2.5 पूर्ण रूप से भरे हुए एनेक्जर फेसिलिटीटेशन सेन्टर में जमा होने के पश्चात सेन्टर द्वारा एक Acknowledgement ID दी जायेगी, जिसके माध्यम से रजिस्ट्रेशन की अद्यतन स्थिति एवं Permanent Retirement Account No. (PRAN) की जानकारी आहरण अधिकारियों द्वारा वेबसाइट पर ज्ञात की जा सकती है ।

2.7 रजिस्ट्रेशन होने पर NSDL डी.डी.ओ. को एक TPIN/IPIN तथा कर्मचारियों को PRAN Kit दी जायेगी । PRAN Kit में PRAN Card, IPIN, TPIN तथा NPS पुस्तिका सम्मिलित होगी । डी.डी.ओ. को यह PRAN Kit अपने समस्त कर्मचारियों को वितरित करनी होगी ।

(8)

2.7 सामान्यतः रजिस्ट्रेशन की प्रकिया में 3–4 सप्ताह का समय लगेगा ।

3. अंशदान की कटौती:

3.1 कर्मचारी अंशदान की कटौती प्रत्येक माह में कर्मचारी के वेतन आहरण करते समय की जाना अनिवार्य होगा । यह राशि एक पृथक बैंक खाता खोल कर जमा की जा सकती है, जिस खाते में समस्त कर्मचारियों के कर्मचारी अंशदान की राशि जमा रहेगी ।

3.2 नियोक्ता अंशदान जो कर्मचारी के मूल वेतन एवं मंहगाई भत्ते के 10 प्रतिशत तक सीमित होगी, को भी उपरोक्त खाते में जमा कराया जाना अनिवार्य होगा ।

3.3 अंशदान की राशि जमा करने के लिए खोले गये पृथक बैंक खाते में से किसी भी राशि का आहरण एवं जमा नहीं किया जा सकेगा, जब तक की यह राशि कर्मचारियों एवं नियोक्ता के अंशदान जमा करने अथवा फण्ड मैनेजर को भुगतान करने के लिए आहरित किया जाना अनिवार्य न हो।

4. कटौतियों का विवरण **NSDL** को प्रस्तुत करना:

4.1 कर्मचारी एवं नियोक्ता के अंशदान की कटौती का विवरण NSDL को भेजने के लिए NSDL की वेबसाइट http://npscra.nsdl.co.in से साफ्टवेयर डाउनलोड की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, जिसका उपयोग करके File prepration utility (FPU), File validation utility (FVU) को डाउनलोड किया जा सकता है ।

4.2 कटौती का डाटा अपलोड करने के संबंध में स्वस्पष्ट डेमो वेबसाइट पर उपल्ध है ।

4.3 डाटा अपलोड करने के लिए वेबसाइट www.npscra.nsdl.co.in पर Log in करना होगा ।

4.4 Subscriber Contribution File (SCF) को अपलोड करने के लिए पंजीकरण के समय डी.डी.ओ. को आबंटित किये गये IPIN की आवश्यकता होगी ।

4.5 फाईल अपलोड होने के पश्चात फाईल रिफरेन्स नंबर वेबसाइट पर उपलब्ध होगा, जिसका उपयोग संबंधित फाईल की अद्यतन स्थिति जाने के लिए किया जा सकेगा ।

4.6 फाईल अपलोड होने के पश्चात् अंशदान जमा करने का (SCF) चालान वेबसाइट पर तैयार होगा, जिसमें ट्रस्टी बैंक को भुगतान की जाने वली राशि का विवरण होगा, चालान डी.डी.ओ. के द्वारा पूर्ण कर हस्ताक्षरित किया जाना होगा ।

4.7 SCF को अपलोड करने के लिए फाईल को संख्या का कोई बंधन नही है । आहरण अधिकारी के द्वारा कितनी भी फाईलों को अपलोड किया जा सकता हैं। यह ध्यान रखा जाना आवश्यक होगा कि प्रत्येक फाईल अपलोड के साथ उसमे दर्शित राशि का भुगतान ट्रस्टी बैंक को पृथक–पृथक किया जावे । यदि कई फाईलों की राशि एक ही बार में भुगतान की जायेगी तो कर्मचारियों के खाते में राशि का स्थानांतरण किया जाना संभव नही होगा ।

5. अंशदान राशि का स्थानांतरण:

5.1 उपरोक्त पैरा 4.6 के अनुसार फाईल अपलोड होने पर अंशदान की कुल राशि (कर्मचारी एवं नियोक्ता अंशदान) ट्रस्टी बैंक को SCF Upload Transaction ID एवं कार्यालय का रजिस्ट्रेशन नंबर के विवरण सहित NPS ट्रस्ट के पक्ष में जमा किया जाना होगा जिसे ट्रस्टी बैंक फण्ड मैनेजर को निवेश के लिए प्रेषित करेगा । इसकी जानकारी www.npscra.nsdl.co.in उपलब्ध है ।

6. एन.एस.डी.एल. को सेवा शुल्क का भुगतान:

6.1 राज्य शासन द्वारा किये गये अनुबंध के अनुरूप स्वशासी संस्थाओं को एन.एस. डी.एल. को निम्नानुसार सेवा शुल्क का भुगतान किया जाना होगा –

(अ) स्थायी पेंशन खाता खोलने का शुल्क @ Rs. 50/- ।

(ब) खाता संधारण का वार्षिक शुल्क @ Rs. 225/- ।

(स) प्रति अंतरण (Transaction) शुल्क @ Rs. 5/- ।

6.2 उपरोक्त शुल्क में सर्विस टैक्स व अन्य टैक्स सम्मिलित नहीं है ।

6.3 यह समस्त राशि प्रति त्रैमास में देय होगा यदि किसी विभाग द्वारा भुगतान में विलम्ब किया जाता है अथवा भुगतान नहीं किया जाता है तो निर्धारित दर पर दण्ड राशि देनी होगी ।

6.4 यदि किसी विभाग/आहरण अधिकारी द्वारा छः माह की अवधि तक लगातार एन.एस.डी.एल. को भुगतान नहीं किया जाता है तो एन.एस.डी.एल. द्वारा सेवा प्रदाय बंद किया जा सकता है ।

6.5 कर्मचारियों की कटौती एवं नियोक्ता अंशदान की राशि समय पर निवेश हो सके इस लिए एन.एस.डी.एल. को निर्धारित समायावधि में भुगतान किया जाना होगा।

संलग्न:यथोपरि ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(सी.जे. खत्री)
संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ शासन, वित्त विभाग

क्रमांक 1231/एफ 1-41/2009/वित्त/स्था./चार/2012 रायपुर, दिनांक 01 अगस्त, 2012

प्रतिलिपिः-

1. महामहिम राज्यपाल के प्रमुख सचिव, राजभवन, रायपुर
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, रायपुर
3. सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय, रायपुर
4. रजिस्ट्रार जनरल/महाधिवक्ता/उपमहाधिवक्ता, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
5. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग/मानवाधिकार आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग/लोक आयोग/राज्य सूचना आयोग, रायपुर
6. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर
7. आयुक्त जनसंपर्क संचालनालय, रायपुर
8. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली
9. समस्त सचिव/विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव एवं समस्त शाखा, वित्त विभाग, मंत्रालय,रायपुर
10. आयुक्त, कोष,लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़, रायपुर
11. मुख्य सचिव के अवर सचिव, मंत्रालय, रायपुर
12. मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय, रायपुर
13. निज सचिव/निज सहायक, मान. मंत्री/राज्यमंत्रीगण, छत्तीसगढ़, रायपुर
14. संभागीय संयुक्त संचालक, कोष,लेखा एवं पेंशन, रायपुर/बिलासपुर/सरगुजा/जगदलपुर, छत्तीसगढ़
15. समस्त कोषालय अधिकारी, जिला/सिटी कोषालय, छत्तीसगढ़
16. समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, रायपुर/बिलासपुर, छत्तीसगढ़
17. संचालक, शासकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, रायपुर, छत्तीसगढ़
18. समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, छत्तीसगढ़
19. संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, रायपुर को वित्त विभाग की बेबसाइट www.cgfinance.nic.in में अपलोड करने हेतु ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

(मुकुन्द गजभिये)
(अवर सचिव)
वित्त विभाग

50

11

Annexure - 1

ON THE LETTER HEAD OF STATE AUTONOMOUS BODY

File No ....

Dated ....

To,

PFRDA

N. Delhi.

Thro:- Directorate of Treasuries Accounts & Pension, Finance Department, Government of Chhattisgarh.

Sub:- Commitment to discharge all obligations under the New Pension Scheme (NPS).

Sir,

With reference to the above, we hereby undertake to ensure that our employees recruited on or after 1-4-2012 would be brought over to the NPS Architecture, and that we shall be govened by all the directoions and scheme of things as envisaged by the PFRDA under the NPS Architecture, from time to time.

We are also aware that consequent upon the decision of the State Government, as cited above the State Government have entered into agreements with NPS Trust and CRA in regard to various commitments to be fulfilled and discharged.

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर
---0---

क्रमांक 809 /एफ 2013-04-0000702/स्था/चार नया रायपुर, दिनांक 23 जून, 2016

प्रति,

कुल सचिव,
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय,
रायपुर (छत्तीसगढ़)

विषय :- नवीन अंशदायी पेंशन योजना प्रभावशीलता की तिथि में परिवर्तन बाबत्।

संदर्भ :- पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर का ज्ञाप क्र. 3741/वित्त/2014, दिनांक 13.1.2014

---:---

वित्त एवं योजना विभाग, मंत्रालय के (वित्त निर्देश 56/2012) परिपत्र क्रमांक 1230/एफ 1-41/2009/वित्त/स्था./चार/2012, दिनांक 01 अगस्त, 2012 द्वारा राज्य शासन के अधीन स्वशासी संस्थाओं/विश्वविद्यालयों/निगमों/मण्डलों/सार्वजनिक उपक्रमों/विकास प्राधिकरणों/नगरीय निकायों में दिनांक 01.04.2012 अथवा इसके बाद नियुक्त कर्मचारियों के लिये परिभाषित अंशदायी पेंशन प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया गया था।

2/- राज्य शासन द्वारा विचारोपरांत निर्णय लिया गया है कि पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के कर्मचारियों हेतु उपरोक्त उल्लिखित योजना दिनांक 1.4.2012 के स्थान पर दिनांक 1.11.2004 से लागू माना जाये। इस हेतु पूर्व अवधि का अंशदान सी.आर.ए. सिस्टम में "एरियर" के रूप में शामिल किया जायेगा एवं इस अंशदान की मासिक प्रविष्टि आवश्यक होगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(ए. के. सिंह) 24/6/2016
उप सचिव

......निरंतर..2

A_Khakha/P-1950

44

पृ.क्र. 810 /एफ 2013–04–0000702/स्था./चार

प्रतिलिपिः– नया रायपुर, दिनांक 2

1. राज्यपाल के प्रमुख सचिव, राजभवन, रायपुर
2. अध्यक्ष, राजस्व मंडल, बिलासपुर
3. अपर मुख्य सचिव, मुख्य मंत्री सचिवालय, नया रायपुर
4. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय, रायपुर
5. रजिस्ट्रार जनरल/महाधिवक्ता, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
6. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, छत्तीसगढ़ शासन एवं समस्त विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर
7. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग/मानवाधिकार आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग/लोक आयोग, रायपुर
8. निज सचिव/निज सहायक, मान. मंत्रीगण/मान. राज्यमंत्रीगण (समस्त), नया रायपुर
9. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर
10. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर
11. मुख्य सचिव के संयुक्त सचिव, मंत्रालय, नया रायपुर
12. संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, नया रायपुर को वित्त विभाग की बेबसाइट में अपलोड करने हेतु
13. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली
14. समस्त संभागायुक्त, छत्तीसगढ़
15. समस्त विभागाध्यक्ष, छत्तीसगढ़
16. समस्त कलेक्टर, छत्तीसगढ़
17. संचालक, जनसंपर्क संचालनालय, रायपुर
18. राज्य सूचना आयुक्त, राज्य सूचना आयोग, रायपुर
19. संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर
20. मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय, नया रायपुर
21. संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, रायपुर/बिलासपुर/सरगुजा/जगदलपुर/दुर्ग,
22. समस्त जिला कोषालय अधिकारी, छत्तीसगढ़/ सिटी कोषालय, नया रायपुर
23. समस्त आहरण एवं संवितरण अधिकारी, सिटी/जिला कोषालय, रायपुर
24. समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, छत्तीसगढ़
25. नियंत्रक, शासकीय मुद्रलेखन सामग्री, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़
26. समस्त मान्यता–प्राप्त कर्मचारी संघ, छत्तीसगढ़

(अतुल कुलश्रेष्ठ)
शोध अधिकारी

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.) (13)
Phone No. 0771-2262587 Website prsu.ac.in, E-mail dradmin@prsu.ac.in

//आदेश//

क्रमांक / 922 / स्था. / सा.प्रशा. / 2021 रायपुर, दिनांक 2 / 03 / 2021

श्री के.के. चन्द्राकर, तत्कालीन कुलसचिव, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को माननीय विशेष न्यायालय द्वारा दोषमुक्त किए जाने एवं छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, रायपुर के आदेश क्रमांक एफ–15–1/2017/38–2 दिनांक 16.12.2020 के परिपालन मे उनके निलंबन अवधि दिनांक 12.12.2017 से 06.03.2019 तक को समस्त प्रयोजन के लिए कर्त्तव्य अवधि मान्य किया जाता है।

आदेशानुसार
2.3.21
कुलसचिव

पृ. क्रमांक / 923 / स्था. / सा.प्रशा. / 2021 रायपुर, दिनांक 2 / 03 / 2021
प्रतिलिपि :–

1. अवर सचिव, छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर।
2. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर।
3. सचिव, छत्तीसगढ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, रायपुर (छ.ग.)।
4. श्री के.के. चन्द्राकर, कुलसचिव, शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय, रायगढ़ (छ.ग.)।
5. वित्त नियंत्रक,
6. कुलपति / कुलसचिव के निज सहायक,

पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उप कुलसचिव (प्रशा.)

F/Sahu Letter 2020/92

(14)

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

Phone No. 0771-2262587 Website : prsu.ac.in, E-mail – adm.prsu@yahoo.in

//आदेश//

क्रमांक/924 /स्था./सा.प्रशा./2021 रायपुर, दिनांक 2 /03/2021

छ.ग. राज्य विश्वविद्यालय सेवा नियम 1983 की कंडिका 26 (2) तथा छ.ग. शासन, वित विभाग, मंत्रालय, रायपुर के वित्त निर्देश 18/2017, पत्र क्रमांक 224/एफ 2016–04–03303/ वित्त/नियम/ चार, दिनांक 19.05.2017 छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 के प्रावधानुरू विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 03.11.2020 के विषय क्रमांक 5 में लिए गए निर्ण अनुसार राज्य शासन द्वारा नियुक्त विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारियों का दिनांक 01.01.201 से पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन निर्धारण **उप संचालक (मुख्या.), संचालनालय, स्थानीय निधि संपरीक्षा, अटल नगर, रायपुर** के अनुमोदन अनुसार अंतिम रूप से निम्नानुसार वेतन निर्धारित किर जाता है:–

क्र	नाम एवं पदनाम	वेतन निर्धारण तिथि	वेतन मैट्रिक्स में विनिर्दिष्ट लेबल	वेतनवृद्धि तिथि	निर्धारित वेतन
01	श्री के.के. चन्द्राकर, कुलसचिव (वेतनबैंड 37400–67000)	01.01.2016	16	-	174300
				01.07.2016	179500
				01.07.2017	184900
				01.07.2018	190400

आदेशानुसार

2.3.21

कुलसचिव

पृ. क्रमांक/925 /स्था./सा.प्रशा./2021 रायपुर, दिनांक 2 /03/2021

प्रतिलिपि :–

1. श्री के.के. चन्द्राकर, कुलसचिव, शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय, रायगढ़ (छ.ग.)।
2. सचिव, छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, रायपुर (छ.ग.)।
3. वित्त नियंत्रक, वित्त विभाग, पं.र.शु.वि.वि. रायपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. कुलपति/कुलसचिव के निज सहायक, पं.र.शु.वि.वि. रायपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

उप कुलसचिव (प्रशा

संचालनालय, स्थानीय निधि संपरीक्षा

ब्लाक-1, द्वितीय तल, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर, छत्तीसगढ़
दूरभाष नं. – 0771-2253808, फैक्स नं. – 0771-2254234, e-mail-[illegible]@nic.in
web-site – www.lfa.cg.nic.in

प्रपत्र- एक

छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम, 2017 के अंतर्गत वेतन नियतन सत्यापन पत्रक

1 शासकीय सेवक का नाम	श्री के.के. चंद्राकर		
2 पदनाम जिस पर वेतन निर्धारण किया जाना है -	कुल सचिव		
3 स्थाई / स्थानापन्न	स्थायी/स्थानापन्न		
4 नियम 6 के अंतर्गत विकल्प के अनुसार पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन नियतन का दिनांक	01.01.2016		
5 विद्यमान वेतन बैंड और ग्रेड वेतन	वेतन बैंड	Rs.	58070
	ग्रेड वेतन	Rs.	8900
6 विद्यमान मूल वेतन		Rs.	66970
7 विद्यमान परिलब्धियां-			
(अ) मूल वेतन		Rs.	66970
(ब) मूल वेतन पर दिनांक 1.1.2016 से लागू महगाई भत्ता 125 प्रतिशत		Rs.	83713
योग (अ) + (ब)		Rs.	150683
8 अनुक्रमांक 5 में दर्शित वेतन बैंड और ग्रेड वेतन के अनुरूपी वेतन मैट्रिक्स और उसमें विनिर्दिष्ट लेवल	Level-16		
9 अनुक्रमांक 6 में दर्शित मूल वेतन को 2.57 से गुणा करने पर प्राप्त राशि निकटतम रुपये में पूर्णांकित		Rs.	172113
10 प्रयोज्य लेवल में अनुक्रमांक 9 पर प्राप्त राशि के समतुल्य अथवा आगे ठीक उच्चतर कोष्ठिका की राशि		Rs.	174300
11 पुनरीक्षित मूल वेतन (अनुक्रमांक 10 के अनुरूप)	Level- 16(11)	Rs.	174300
12 नियम 7(5) एवं 7(7) के अंतर्गत कनिष्ठ शासकीय सेवक से वरिष्ठ की गई वृद्धि के फलस्वरूप वेतन (कनिष्ठ कर्मचारी की नाम और वेतन अंकित किया जाए)			
13 नियम 7(6) के संदर्भ में स्थायी पद से स्थानापन्न [illegible] प्राप्त [illegible] (यदि लागू हो)		Rs.	
14 [illegible] (नियम 7(4) [illegible] के अंतर्गत)		Rs.	
15 [illegible]			
(अ) पुनरीक्षित मूल वेतन		Rs.	174300
(ब) [illegible]		Rs.	0
[illegible] (अ) + (ब)		Rs.	174300

16 [illegible]
17 [illegible]
18 [illegible]

[illegible] 174300.00
[illegible] 179500.00

REDMI NOTE 5 PRO

पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय,रायपुर

संचालक,शारीरिक शिक्षा विभाग

पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय,रायपुर क्रीडा समिति की बैठक दिनांक 14.08.2019 को अपरान्ह 3.00 बजे कुलपति कक्ष में संपन्न हुई । जिसमें निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए.

1. प्रोफेसर केशरी लाल वर्मा	कुलपति एवं अध्यक्ष
2. डॉ0गिरीश कांत पाण्डेय	कुलसचिव
3. श्री उमेश अग्रवाल	वित्त नियंत्रक
4. डॉ0ओ0पी0 चंद्राकर	सदस्य
5. प्रोफे0सी0डी0अगाशे	सदस्य
6. प्रोफे0ए0के0पाण्डेय	सदस्य
7. डॉ0बंशो नूरूटी	सदस्य
8. श्री जितेन्द्र वेगड़	सदस्य
9. श्री सुधीर वर्मा	सदस्य
10. श्री विजय शर्मा	सदस्य
11. कुमारी बालमती यादव	सदस्य
12. डॉ0विपिनचन्द्र शर्मा	संचालक, शारीरिक शिक्षा

कार्यवृत्त

विषय क0 1 विश्वविद्यालय क्रीडा समिति की बैठक दिनांक 1.9.2018 के कार्यवृत्त की संपुष्टि प्रदान करना ।

निर्णय– **विश्वविद्यालय क्रीडा समिति की बैठक दिनांक 01.09.2018 के कार्यवृत्त की संपुष्टि की गई ।**

विषय क0 2 क्रीडा समिति की बैठक दिनांक 01.09.2018 के कार्यवृत्त पर पालन प्रतिवेदन सूचनार्थ प्रस्तुत ।

निर्णय– **सूचना ग्रहण की गई ।**

विषय क0 3 शारीरिक शिक्षा विभाग, पं0रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय,रायपुर के तत्वावधान में आयोजित की जाने वाली अंतर महाविद्यालयीन खेल कैलेण्डर 2019–20 का अनुमोदन प्रदान करना ।

(17)

निर्णय— खेल कैलेण्डर 2019—20 का अनुमोदन किया गया ।

विषय क्र0 4 सत्र 2019—20 में भारतीय विश्वविद्यालय खेल संघ द्वारा पूर्वी क्षेत्रीय अंतर विश्वविद्यालयीन आवंटित खेल लॉन टेनिस (पुरूष) प्रतियोगिता आयोजन हेतु अनुमानित आय—व्यय पत्रक पर विचार करना ।

निर्णय— सत्र 2019—20 आबंटित खेल लॉन टेनिस (पुरूष) प्रतियोगिता आयोजन के लिए 1.20 लाख रू0 अनुमानित व्यय की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई। साथ ही संचालक, शारीरिक शिक्षा प्रायोजकों को उक्त आबंटित खेल की सहभागिता के लिए सम्पर्क करें।

विषय क्र0 5 महाविद्यालयीन खेल प्रतियोगिता संपन्न होने के पश्चात् चयनित खिलाडियों से संबंधित दस्तावेज प्राचार्य द्वारा संप्रेषित करने पर विचार करना ।

निर्णय— महाविद्यालयीन खेल प्रतियोगिता संपन्न होने के पश्चात् अर्थात् उसी दिन संबंधित महा0 के प्राचार्य चयनित खिलाडियों की चयन सूची ई—मेल के माध्यम से संचालक, शारी0 शिक्षा पं0र0शु0वि0वि0 रायपुर को भेजेंगे ।

विषय क्र0 6. अंतर विश्वविद्यालय स्तरीय विभिन्न खेलों के लिए नियुक्त टीम मैनेजरों को अग्रिम राशि प्रदान करने पर विचार करना ।

निर्णय— प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया । अग्रिम की सूचना संबंधित महा0 के प्राचार्य को दिया जाना अनिवार्य है । नियुक्त टीम मैनेजरों को राशि वि0वि0 से प्रदान की जाएगी जिसका समायोजन एक माह के भीतर किया जाएगा । यदि टीम मैनेजर अग्रिम राशियों के समायोजन में विलंब करते हैं तो उनसे पत्राचार करते हुए ली गई राशि का समायोजन अविलंब जमा करने के निर्देश संचालक,शारी0शिक्षा अपने स्तर से करेंगे ।

विषय क्र07. अंतर महाविद्यालयीन प्रतियोगिता में यदि खिलाड़ी को कोई गंभीर चोट लगने की स्थिति में संबंधित खिलाड़ी के उपचार में होने वाले व्यय के वहन करने पर विचार करना ।

निर्णय— अंतर महाविद्यालयीन प्रतियोगिता में यदि खिलाड़ी को कोई गंभीर चोट लगने की स्थिति में संबंधित खिलाड़ी के प्राथमिक उपचार में होने वाला व्यय संबंधित

(18)

महा0 द्वारा वहन किया जाना चाहिए । सैध्दांतिक रूप से निर्णय लिया गया है कि अंतर विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में खिलाडी को चोट लगने पर होने वाला व्यय विश्वविद्यालय द्वारा वहन होगा, इसके लिए नए नियम बनाए जायेंगे।

विषय क्र08 अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वर्ल्ड इंटर युनिवर्सिटी प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी पर होने वाले व्यय पर विचार करना ।

निर्णय– **सैध्दांतिक रूप से सहमति प्रदान किया गया । इसके लिए नये नियम बनाये जावेंगे । निर्णय लिया गया कि आगामी बजट सत्र 2020–21 में संचालक, शारी0 शिक्षा खेल संबंधी बजट जब प्रस्तुत करेंगे तब बजट में इस मद का भी बजट होगा ।**

विषय क्र09 खेलों के स्तर को सुधार करने हेतु आगामी बजट राशि में बढ़ोत्तरी किए जाने पर विचार करना ।

निर्णय– **सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि** आगामी सत्र से कुछ छोटे–छोटे खेलों को कम किया जाए तथा विभिन्न खेलों के लिए स्पांसर (प्रायोजकों) की मदद ली जाए । साथ ही संचालक, शारी0शिक्षा बजट राशि में बढोत्तरी के लिए अपने स्तर से शासन को पत्राचार करें ।

अध्यक्ष की अनुमति से यह निर्णय लिया गया कि क्रीडा समिति में दो अन्य सदस्य जो अपने खेलों के क्षेत्र विशेषज्ञ श्री राकेश टोप्पो,एनआईएस हॉकी एवं श्री विरेन्द्र देशमुख,एनआईएस बॉस्केटबाल को भी क्रीडा समिति के सदस्य के रूप में मनोनीत किया जाए ।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक संपन्न हुई ।

(प्रोफे0 केशरी लाल वर्मा)
कुलपति एवं अध्यक्ष क्रीडा समिति
पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय
रायपुर

(डॉ0विपिनचंद्र शर्मा)
संचालक एवं सचिव
पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय
रायपुर